Attchment- 2/1

विस्तृत आख्या

परियोजना विवरण :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट–कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लैण्ड शैड्यूल : संलग्न किया गया है।

वांछित भूमि का विवरण (Description of the Land Required):- प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1810/III (2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23–08–2017 द्वारा 8.00 किमी0 लम्बाई हेतु रू0 74.30लाख हेतु प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त 6.000 किमी0 लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत हैं :–

(a) प्राइवेट भूमि (Private Land) -	1450 m x 7m = 10150 Sqmt	=	1.015 Hectare
(b) आरक्षित वनभूमि (Reserve Forest Land) -	2000.00m x 7m = 14000Sqmt	=	1.400 Hectare
(c) सिविल भूमि (Civil Land) -	2550m x 7m = 17850 Sqmt	=	1.785 Hectare
(d) वनपंचायत भूमि (Van Panchayat Land) -	0.000m x 7m = 0.00 Sqmt	=	0.000Hectare
(e) मलवा निस्तारण		=	0.27 Hectare

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :–

(3-185+0.27) = 3.455 Hectare

विदित हो कि कफलटा मल्ला एचं कफलटातल्ला बसावट को संयोजित करते हुए ग्राम को मिलान हेतु मार्ग की 6.00कि0मी0 लम्बाई प्रस्तावित की जा रही है

प्रभावित पेड़ो का विवरण (Status of Tree felling):- मोटर मार्ग में कुल 248 पेड़ बॉज, 108 पेड़ बुरॉश, 25 पेड़ काफल, कुल 381 पेड़ वभिन्न प्रजाति के प्रभावित हो रहे है, जिसमें मुख्यतः बाज बुरॉश काफल,, इत्यादि हैं। इन 381पेड़ों में से 10–20व्यास के–61 वृक्ष, 20–30 व्यास के111 वृक्ष, 30–40 व्यास के 88 पेड़, 40–50 के व्यास के 70 पेड 50–60 व्यास के 37 पेड़, 60–70 व्यास के 12 पेड़, 70–80 व्यास के 2 पेड़,आ रहे है।

मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण (Brief Description of the road):- प्रस्तावित मोटर मार्ग से कफलटा मल्ली एवं कफलटा तल्ली (आबादी– 696) लाभान्वित हो रही है।यह मार्ग विकास खण्ड, चम्पावत जिला चम्पावत (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में नाप भूमि एवं आरक्षित वन भूमि,सिविल वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य (Necessity of the project and justification for locating the project in forest area):- वर्तमान में कफलटा मल्ली एवं कफलटा तल्ली अन्य तोकों के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपने कृषि उत्पादों को रोड हैड तक पहुँचाने में भी प्रयुक्त होगा। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों को उचित चिकित्सा सेवायें नहीं मिल पा रही है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है।

मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लाभों से वंचित है, तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। ग्रामवासियों अपनी कैश फसलों (Cash crops) यथा सन्तरे, अदरक, आलू, नीबू इत्यादि को रोड हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है, तथा उनके उत्पादों का उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता।

मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का समाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होन के साथ–साथ गॉव से नवयुवकों का पलायन रूकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 3.455 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित की गई है, न्यूनतम है तथा समरेखन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि पेड़ों का न्यूनतम पातन हो।

(2)

इस प्रस्तावित समरेखन के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखन नहीं है, जिसमें इससे कम पेड़ो का पातन हो। वनभूमि 7.00 मी0 चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, तथा **(Straight Reaches)** में 6.00 मी0 चौड़ाई में मार्ग निर्माण किया जायेगा।

भूगर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखन में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखन में कोई भी कब्रिस्तान, अत्येष्टि स्थल, धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल/स्थान प्रभावित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए जनहित में 3.455 हेक्टेयर वनभूमि को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत